



प्रेस नोट



जनपद- कौशाम्बी

दिनांक 03.04.2021

205 ली0 अवैध शराब के साथ 11 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे जनपद में अवैध शराब के निर्माण एवं तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में विभिन्न थानो द्वारा कुल 11 नफर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 205 ली0 अवैध शराब बरामद की गयी । गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सम्बन्धित थानो पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

क्र.सं.	थाना	बरामदगी अवैध शराब	नाम पता अभियुक्त	गिरफ्तार कर्ता
1	करारी	15 ली0	संजय पुत्र इन्दल नि0 म्योहर थाना करारी, कौशाम्बी	उ0नि0श्री प्रमोद कुमार राय
2	करारी	20 ली0	देवपत पासी पुत्र सुरेमन नि0 हकीमपुर थाना करारी, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री राजेश कुमार सचान
3	स0 अकिल	15 ली0	सुखलाल निषाद पुत्र स्व0 हरछठी निषाद नि0 मल्हीपुर थाना स0 अकिल, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री नित्यानन्द सिंह
4	मो0 पइन्सा	15 ली0	हसन रजा अंसारी पुत्र साबिर अली अंसारी नि0 तकिया पर चक नारा थाना मंझनपुर, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री बलराम सिंह
5	मंझनपुर	20 ली0	बसन्त पुत्र छेदी लाल नि0 लच्छीपुर थाना मंझनपुर, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री संजय सिंह परिहार
6	मंझनपुर	20 ली0	रामू सिंह पुत्र विन्देश्वरी नि0 गौसपुर टिकरी थाना मंझनपुर, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री इन्द्रकान्त यादव
7	कोखराज	20 ली0	सुनील कुमार पुत्र रमेश पटेल नि0 मुजाहिदपुर थाना कोखराज, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री कामता प्रसाद
8	सैनी	20 ली0	कल्लू रैदास पुत्र स्व0 जानकी नि0 उदयराज का पुरवा थाना सैनी, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री केदारनाथ राय
9	कौशाम्बी	20 ली0	रामराज पुत्र भुलई नि0 बेरौचा थाना व जनपद कौशाम्बी	उ0नि0 श्री नन्दू यादव
10	महेवाघाट	20 ली0	राजू पासी पुत्र हूबलाल नि0 हटवा अब्बासपुर थाना महेवाघाट, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री आदित्य कुमार सिंह
11	कड़ाधाम	20 ली0	जवाहर लाल सरोज पुत्र मोती लाल नि0 सौरई बुजुर्ग थाना कड़ाधाम, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव
		कुल अवैध शराब 205 ली0	कुल गिरफ्तार अभियुक्त 11	

1200 ग्राम गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02/04/2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मंझनपुर महोदय के अगुवाई में प्रभारी निरीक्षक थाना पश्चिम शरीरा के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री मुनेश कुमार गौतम व थाना पश्चिम शरीरा पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के मद्देनजर अभियान अवैध मादक पदार्थों/गांजा की चैकिंग चलाकर अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह उर्फ दादू S/O शिव प्रसाद सिंह निवासी खोपा थाना राजापुर चित्रकूट हाल ग्राम बरैसा थाना पश्चिम शरीरा कौशाम्बी उम्र करीब 35 वर्ष से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 100/21 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में पंजीकृत किया गया व अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। उक्त सराहनीय कार्य में शामिल अधिकारी/कर्मचारी गण को उच्चाधिकारियों द्वारा सराहना एवं प्रशंसा की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

वीरेन्द्र सिंह उर्फ दादू पुत्र शिव प्रसाद सिंह निवासी खोपा थाना राजापुर चित्रकूट हाल ग्राम बरैसा थाना पश्चिम शरीरा कौशाम्बी उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

गिरफ्तार कर्ता

1. उ0नि0 मुनेश कुमार गौतम थाना प0शरीरा जनपद कौशाम्बी
2. हे0का0 आदित्य कुमार थाना पं0 शरीरा कौशाम्बी
3. का0 दिलीप कुमार थाना पं0 शरीरा जनपद कौशाम्बी
4. का0 इन्द्रपाल थाना प0शरीरा जनपद कौशाम्बी



1100 ग्राम गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 03/04/2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मंझनपुर महोदय के अगुवाई में प्रभारी निरीक्षक थाना पश्चिम शरीरा के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री मुनेश कुमार गौतम व थाना पश्चिम शरीरा पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के मद्देनजर अभियान अवैध मादक पदार्थों/गांजा की चैकिंग चलाकर अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला पुत्र काशी प्रसाद शुक्ला निवासी पुनवार थाना पश्चिम शरीरा कौशाम्बी उम्र करीब 47 वर्ष से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 101/21 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में पंजीकृत किया गया व अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। उक्त सराहनीय कार्य में शामिल अधिकारी/कर्मचारी गण को उच्चाधिकारियों द्वारा सराहना एवं प्रशंसा की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला पुत्र काशी प्रसाद शुक्ला निवासी पुनवार थाना पश्चिम शरीरा कौशाम्बी उम्र करीब 47 वर्ष

बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

गिरफ्तार कर्ता

1. उ0नि0 मुनेश कुमार गौतम थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी
2. हे0का0 आदित्य कुमार थाना पश्चिम शरीरा कौशाम्बी
3. का0 दिलीप कुमार थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी
4. का0 प्रशांत कुमार थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी



चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कौशाम्बी के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय कौशाम्बी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सिराथू के कुशल निर्देशन में कल दिनांक 02.04.2021 को उ0नि0 हेमन्त कुमार मिश्र चौकी प्रभारी सिराथू मय हमराह हे.का. राकेश कुमार, का. विजय पाल, का. सूरज यादव का. चालक विनेश कुमार के थाना हाजा से रवाना होकर शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम व थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 113/2021 धारा – 379/411 IPC मे मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गई मोटर साइकिल को लेकर चोर गोविन्दपुर गोरियो की तरफ से नहर पटरी पकडकर सयारा की तरफ आ रहा है, मो.सा. लेकर कहीं भागने की फिराक में है सयारा नहर पुलिया के पास चेकिंग की गई तो एक व्यक्ति मोटर साइकिल पल्सर से काफी स्पीड मे आ रहा था, जिसे रोकने का इशारा किये कि हम पुलिस वालो को देख कर आ रहा व्यक्ति मो.सा. मोड कर पुनः उसी दिशा में भागने का प्रयास किया कि मो.सा. मोडते समय अनियन्त्रित होकर मो.सा. सहित रोड पर ही गिर पडा, जिसे आवश्यक बल प्रयोग कर हिकमत अमली से दिनांक 02.04.2021 को समय 17.40 बजे पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नामराजकुमार सरोज पुत्र भुगन लाल, निवासी चतुरीपुर, मजरा सयारा मीठेपुर, थाना सैनी जिला कौशाम्बी बताया। जामा तलाशी ली गयी तो पहनें पैन्ट के बाये फेट से एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ, तमंचे को खोलकर चेक किया गया तो चेम्बर मे एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पकडे गये व्यक्ति के कब्जे से एक अदद मो.सा. पल्सर नं. UP-73V/5978, Engine NO – DHYRKC66999, Chassis No- MDZA11CY6KRC33868 बरामद हुई। अवैध तमंचा कारतूस बरामद होने पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 115/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त

राजकुमार पासी पुत्र मुगा पासी निवासी चतुरीपुर मजरा सयारा मीठेपुरथाना सैनी जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 22 वर्ष

बरामद माल

1. एक अदद तमंचा देशी व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. एक अदद मो.सा. पल्सर नं.- UP-73V/5978 रंग काली सम्बन्धित मु.अ.सं. 113/2021 धारा – 379/411 IPC

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी

1. उ0नि0 हेमन्त कुमार मिश्र चौकी प्रभारी सिराथू थाना सैनी जनपद कौशाम्बी
2. हे.का. राकेश कुमार, का. विजय पाल, का. सूरज यादव का. चालक विनेश कुमार



02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मंझनपुर - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना मंझनपुर पुलिस उ0नि0 श्री देवब्रत एम पाण्डेय मह हमराह पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 104/11 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त गुड्डू पुत्र नसीब नि0 साहिबाबाद थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना मंझनपुर - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना मंझनपुर पुलिस उ0नि0 श्री देवब्रत एम पाण्डेय मह हमराह पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 184/17 धारा 138 विद्युत अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त मंगला प्रसाद पुत्र रामभवन नि0 केशवापुर थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोखराज - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना करारी पुलिस उ0नि0 श्री राकेश चन्द्र शर्मा मय हमराह पुलिस बल द्वारा 01 नफर अभियुक्त जय सिंह पुत्र चन्द्रा उर्फ चन्द्र प्रकाश नि0 भदवां थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार कर कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 141/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

24 शीशी अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना कोखराज - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कोखराज पुलिस उ0नि0 श्री कामता प्रसाद मय हमराह पुलिस बल द्वारा 02 नफर अभियुक्ता 1- रामकली पत्नी मुइयादीन नि0 मितवापुर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी 2- लक्ष्मी पटेल पत्नी कल्लू नि0 1144 शाही नाका जबलपुर हाल पता मितवापुर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार कर कब्जे से 24 शीशी देशी शराब पउवा, विंडीज लाइम व रॉयल प्लेयर प्रिमियम ग्रीन हिक्सकी अरुणाचल प्रदेश, 17 बोतल अंग्रेजी शराब व प्लास्टिक की एक बोतल में 400 ग्राम स्पिट मय निडिल सिरीज 02 मिली बरामद होने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 142/21 धारा 60 अबकारी अधिनियम व 272 भादवी पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

निरोधात्मक कार्यवाही मे 18 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी श्री अभिनन्दन के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान में साधारण मारपीट व शांति भंग करने के आरोप में (थाना मंझनपुर से 02, थाना कोखराज से 07, थाना स0 अकिल से 03, थाना चरवा से 04, थाना सैनी से 02) कुल 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।